जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नांगल दिनांक – 18.06.2024

**थाना नांगल पुलिस ने मु0अ0सं0 116/2024 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 18.06.2024 को वादी श्री शादाब पुत्र श्री हामिद अली निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. अफजाल पुत्र यासीन व 2. सहरयार पुत्र अफजाल निवासीगण ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर द्वारा वादी के चाचा व दादी के साथ गाली-गलौच कर लाठी-डन्डों से मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नियत से वादी के चाचा के ऊपर छुरे से वार किया गया। तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 116/2024 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही –**

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.06.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण अफजाल पुत्र यासीन निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक छूरे सहित गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 4/25 शस्त्र अधि0 की वृद्धि की गयी। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

अफजाल पुत्र यासीन निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर **(हिस्ट्रीशीटर अपराधी थाना नांगल)**

**बरामदगी का विवरण –**

घटना में प्रयुक्त छूरा।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त अफजाल उपरोक्त-**

1. मु0अ0स0 180 /2020 धारा 188/268/269/270/271 भादवि व धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 3 महामारी अधि0 व धारा 51बी आपदा प्रबन्धन अधि0 थाना मंडावली बिजनौर
2. मु0अ0सं0 46/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 07/2008 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नांगल जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 486/2018 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना देवा जनपद बाराबंकी।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 गौरव कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर

2. हे0का0 849 बहोरन सिंह थाना नांगल  जनपद बिजनौर
3. का0 1074 राजीव कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना रेहड़** **दिनांक – 18.06.2024**

**थाना रेहड़ पुलिस ने मु0अ0सं0 75/2024 धारा 457/380/411/413/414 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 13.06.2024 को वादी श्री अनीस अहमद पुत्र अब्दुल रशीद निवासी कस्बा व थाना रेहड़ जनपद बिजनौर ने थाना रेहड पर तहरीर दी कि दिनांक 12/13.06.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घर से सोने व चांदी के आभूषण, नगदी एवं मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना रेहड़ पर मु0अ0सं0 75/2024 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.राशिद पुत्र बुन्दू शाह 2.शाकिब पुत्र शाहिद 3.दिलशाद उर्फ दिल्ला पुत्र अली हुसैन निवासीगण कस्बा व थाना रेहड जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 15.06.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.राशिद व 2.शाकिब को चोरी किये गये आभूषण, नगदी व मोबाइल फोन आदि सहित गिरफ्तार किया जा चुका है।

**कार्यवाही –**

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी/नकबजनी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेहड पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दिलशाद उर्फ दिल्ला पुत्र अली हुसैन निवासी मौ0 भोजपुर कस्बा व थाना रेहड जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी नगदी में से 820 /- रुपये बरामद किये गये। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

दिलशाद उर्फ दिल्ला पुत्र अली हुसैन निवासी मौ0 भोजपुर कस्बा व थाना रेहड जनपद बिजनौर

**बरामदगी –**

820 /- रुपये

**अभियुक्त दिलशाद उर्फ दिल्ला का आपराधिक इतिहास –**

1.मु0अ0सं0 108/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रेहड जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 363/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 366/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 72/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

5.मु0अ0सं0 75/2024 धारा 457/380/411/413/414 भादवि थाना रेहड जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर

2.कां0 504 अवदेश कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर

3.कां0 1397 सतेन्द्र चौपडा थाना रेहड जनपद बिजनौर

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना कोतवाली नगर** **दिनांक – 18.06.2024**

**थाना कोतवाली नगर पुलिस ने मु0अ0सं0 532/2024 धारा 380/411 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्तों को चोरी की गयी नगदी सहित किया गिरफ्तार।**

**कार्यवाही का विवरण –**

दिनांक 18.06.2024 को वादी श्री गौरव कुमार पुत्र श्री रविन्द्र सिंह निवासी मौहल्ला शहबाजपुर खाना शिवाजी नगर नूरपुर रोड टयूबैल कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी कि वादी का ओलिव केयर के नाम से नूरपुर रोड पर मेडिकल स्टोर है। दिनांक 17.06.2024 को समय करीब 21.00 बजे वादी अपनी दुकान छोडकर लघुशंका के लिये गया तथा आकर देखा तो दो व्यक्ति 1.खुशहाल पुत्र नब्बू निवासी मौहल्ला लडापुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर 2.फहीम पुत्र मोईउददीन निवासी मौहल्ला चाहशीरी बी-24 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर दुकान में गल्ले से पैसे चोरी कर रहे थे, जिन्हे वादी द्वारा अन्य दुकानदारों की मदद से गल्ले से चोरी किये गये 1,560 /- रुपयों सहित मौके पर ही पकड लिया।

तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 532/2024 धारा 380/411 बनाम खुशहाल व फहीम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.खुशहाल पुत्र नब्बू निवासी मौहल्ला लडापुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर 2.फहीम पुत्र मोईउददीन निवासी मौहल्ला चाहशीरी बी-24 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

1.खुशहाल पुत्र नब्बू निवासी मौहल्ला लडापुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

2.फहीम पुत्र मोईउददीन निवासी मौहल्ला चाहशीरी बी – 24 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

**बरामदगी –**

1,560 /- रूपये

**अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –**

**अभियुक्त खुशहाल उपरोक्त –**

मु0अ0सं0 532/2024 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

**अभियुक्त फहीम उपरोक्त –**

1.मु0अ0सं0 85/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 876/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 02/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 240/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

5.मु0अ0सं0 295/2024 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

6.मु0अ0सं0 532/2024 धारा 380/411 भादवि थाना को0शहर बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1.उ0नि0 राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.कां0 2510 विजय थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.कां0 1475 अश्वनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात** **दिनांक – 18.06.2024**

**थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 111/2024 धारा 34/307/323/324/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 25.05.2024 वादी श्री अनीस पुत्र बुन्दू शाह निवासी ग्राम फरीदपुर दुल्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. इमरान पुत्र अशरफ शाह, 2. जुल्फकार पुत्र अख्तर, व 3. बाबू पुत्र अख्तर समस्त निवासीगण ग्राम फरीदपुर दुल्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नियत धारधार हथियार से वार किया गया जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 111/2024 धारा 34/307/323/324/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही –**

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.06.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जुल्फकार पुत्र अख्तर निवासी ग्राम फरीदपुर दुल्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

जुल्फकार पुत्र अख्तर निवासी ग्राम फरीदपुर दुल्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 मोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 627 राजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर .

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट - थाना कोतवाली देहात दिनांक- 18.06.2024**

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 131/24 धारा 307/452/323/324/504/506/34 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 17.06.2024 को वादी श्री वसीरुद्दीन पुत्र मौ0 इब्राहिम निवासी ग्राम करौंदा पचदू थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- वसीम पुत्र लतीफ 2- सुहेल 3- साकिब 4- शुऐब पुत्रगण नसीम अहमद निवासीगण ग्राम करौन्दा पचदू थाना को0 देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के बेटे के उपर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे वादी का बेटा गंभीर रुप से घायल हो गया। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 131/24 धारा 307/452/323/324/504/506/34 भादवि पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही –**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 131/24 धारा 307/452/323/324/504/506/34 भादवि में वांछित अभियुक्त सुहेल पुत्र नसीम अहमद निवासी ग्राम करौन्दा पचदू थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त चापड सहित गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

सुहैल पुत्र नसीम अहमद निवासी ग्राम करौन्दा पचदू थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

**बरामदगी का विवरण-**

घटना में प्रयुक्त चापड।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1-उ0नि0 इन्देश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

2- आरक्षी विपुल तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट - थाना स्योहारा** **दिनांक- 18.06.2024**

**थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 264/24 धारा 380 भादवि में वांछित अभियुक्त को चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 02.06.2024 को वादी श्री अली पुत्र इब्राहिम निवासी मौ0 हयातनगर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी की दुकान से लोहे के बाट व एक छोटी बैट्री चोरी कर ली है। इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 264/24 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही –**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 264/24 धारा 380 भादवि में विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रकाश में आये अभियुक्त मौ0 जैद पुत्र कमालुद्दीन निवासी ग्राम मंसूर सराय कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को लोहे के बाट सहित गिरफ्तार किया गया। अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

मौ0 जैद पुत्र कमालुद्दीन निवासी ग्राम मंसूर सराय कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

**बरामदगी का विवरण –**

लोहे के बाट (02 बाट 20-20 किलो, 02 बाट 10-10 किलो)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1- उ0नि0 कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2- मुख्य आरक्षी विपिन कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

3- मुख्य आरक्षी बृजपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात** **दिनांक 18.06.2024**

# थाना नगीना देहात पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

**कार्यवाहीः-**

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.06.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त प्रताप सिंह पुत्र राजेश निवासी ग्राम मौहल्डवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

प्रताप सिंह पुत्र राजेश निवासी ग्राम मौहल्डवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. उ0नि0 मुकेश कुमार शर्मा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 149 चन्द्रप्रभात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
3. हे0का0 737 सुभाषचन्द थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना चांदपुर** **दिनांक – 18.06.2024**

**थाना चांदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 301/2024 धारा 147/148/149/323/308/504/506 भादवि में की जा रही विधिक कार्यवाही के सम्बंध में।**

अवगत कराना है कि आज दिनांक 18.06.2024 वादी श्री नसीम पुत्र नासिर निवासी ग्राम पांडला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 17.06.2024 को सांय करीब 06.00 बजे वादी के पिता नासिर खेत पर सरकारी कुंए से पानी चला रहे थे तभी ग्राम पांडला के ही कामिल पुत्र आलिम ने आकर हौज का पाइप बंद कर दिया। वादी के पिता द्वारा विरोध करने पर कामिल ने गाली – गलौच करते हुए अपने घर फोन करके आलिम व फिरासत पुत्रगण नाजर, आदिल पुत्र आलिम, नाजिया पुत्री आलिम, साजिया पुत्री फिरासत लाठी डंडे तथा धारधार हथियार लेकर आ गये तथा वादी के पिता के साथ मारपीट की गयी। फिरासत ने फावडे से वादी के पिता के सिर पर वार किया, जिससे वादी के पिता का सिर फट गया और वह बेहोश हो गये तथा वादी, वादी के भाई मुनीस व मां हनीफन के साथ भी मारपीट की गयी, जिससे वादी, वादी का भाई व मां को भी चोटें आयी है।

स्थानीय पुलिस द्वारा दोनो पक्ष के घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 301/2024 धारा 147/148/149/323/308/504/506 भादवि बनाम 1.कामिल 2.आलिम 3.फिरासत 4.आदिल 5.नाजिया 6.साजिया समस्त निवासीगण ग्राम पांडला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।